रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 615] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

पोतपरिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 836(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन महानिदेशालय और प्रादेशिक कार्यालय (पाल जहाज) समूह "क" और "ख" (अतकनीकी पद) भर्ती नियम, 2001, जहां तक उसका संबंध उप महानिदेशक नौवहन के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय के नौवहन महानिदेशालय में उप महानिदेशक नौवहन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौवहन महानिदेशालय, उप महानिदेशक, नौवहन, समूह "क" (अतकनीकी पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .—

जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप महानिदेशक, नौवहन	6* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह " क " राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 12 (78,800 – 2,09,200 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अपेक्षित अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा और भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ? यदि हाँ तो इसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति</u> वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रुपए) में ऐसा सहायक महानिदेशक नौवहन जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और उसने वाणिज्यिक पोत परिवहन विधि और प्रशासन संबंधित	**समूह "क " विभागीय प्रोन्नति समिति** :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्र में तीन सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1** - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** भारतीय प्रशासनिक सेवा या केन्द्रीय समूह " क " सेवाओं के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रुपए) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- **आवश्यक** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री ; और (ii) प्रशासन या स्थापन मामलों में दस वर्ष का अनुभव । **वाछंनीय** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या वित्त या प्रबंधन में डिग्री । **टिप्पण - 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि के अंतगर्त केन्द्रीय सरकार में उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	2. महानिदेशक नौवहन, मुम्बई - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (पोतपरिवहन), पोतपरिवहन मंत्रालय - सदस्य 4. अपर महानिदेशक नौवहन, मुम्बई - सदस्य	

[फा. सं. पी.बी.-26(1)/2009-जिल्द-II]

डॉ. मालिनी वि. शंकर, महानिदेशक, नौवहन और सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2018

G.S.R. 836(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Shipping and Regional Offices (Sails) Group 'A' and 'B' (Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as it relates to the post of Deputy Director General of Shipping, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director General of Shipping in the Directorate General of Shipping, in the Ministry of Shipping, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Directorate General of Shipping, Deputy Director General of Shipping Group 'A' (Non-Technical Post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Column 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	No. of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non- selection post.	Age limit for direct recruits.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Deputy Director General of Shipping	6 * (2018) Subject to variation dependant on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 12 (Rs 78,800-2,09,200)	Selection posts	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	**Method of recruitment**, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	**8**	**9**	**10**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	50% by promotion failing which by deputation. 50% by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	**12**	**13**
<u>Promotion</u> Assistant Director General of Shipping in Level-11 in pay matrix (Rs.67,700 -2,08,700) with five years regular service in the grade and have successfully completed three weeks mandatory training in area related to merchant shipping law and administration. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **<u>Deputation</u>:** Officers of Indian Administrative Service or Central Group 'A' Services: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or (II) with five years of regular service in Level-11 in pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700); and (B) possessing the following qualifications and experience: **<u>Essential:</u>** (i) Degree of a recognized University/Institute; and (ii) ten years' experience in administration/ establishment matters. **<u>Desirable:</u>** Degree in Law or Finance or Management from a recognized University/Institute.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee:** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission …. Chairman 2. Director General of Shipping, Mumbai … Member 3. Joint Secretary (Shipping), Ministry of Shipping …… Member 4. Additional Director General of Shipping, Mumbai....... Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).		

[F. No. PB-26(1)/2009-Vol. II]

Dr. MALINI V. SHANKAR, IAS, Director General of Shipping & Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.09.07 22:54:32 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.